न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

दावा संख्या : 41 / 16

निर्णय दिनांक :–02.07.2019

1. सुखाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम फदनपुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।

........वादी

बनाम

1. गणेशाराम पुत्र अरजन
2. ओमप्रकाश पुत्र अरजन
3. जमना पत्नि अरजन
4. कुलदीप पुत्र जगदेवाराम
5. श्याना देवी पत्नि जगदेवाराम
6. बिरजू पुत्र भगवानाराम
7. केशाराम पुत्र धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम फदनपुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।
8. शाखा प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
9. तहसीलदार (भूमि धारक) रामगढ शेंखावाटी जिला सीकर।
10. पटवारी पटवार हल्का देवास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

उपस्थितिः– विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार (वादीगण की ओर से)
विद्वान अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी (प्रतिवादी सं 06 की ओर से)

प्रकरण वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 3.0900 हैक्टेयर वाके ग्राम फदनपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी के विभाजन हेतु दिनांक 11.06.2018 को न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। तहसीलदार रामगढ को विवादित आराजी के सहखातेदारों के मध्य विभाजन हेतु मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ. / 19 / 1359 दिनांक 24.01.2019 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षकारान तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार रिकॉर्डेड खातेदार को कृषि भूमि में अपनी आराजी का विभाजन करवाने का अधिकार है एवं सहखातेदारों के मध्य विभाजन किया जाना उचित है। अतः अन्तिम डिक्री पारित की जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 3.0900 हैक्टेयर वाके ग्राम फदनपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी का रिकॉर्डेड खातेदारों के मध्य तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। विभाजन के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।

Scanned by CamScanner

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि	लगान
1.	सुखाराम पुत्र धनाराम जाति जाट सा. देह	38/1	0.7725	बा.1 0.7425 गै.मु.रा. 0.03	3.71
2.	बिरजुराम पिता भगवाना कुलदीप पिता जगदेवाराम श्याना देवी पत्नी जगदेवाराम हि.ब. जाति जाट सा.देह	38/2	0.7725	बा.1 0.7425 गै.मु.रा. 0.03	3.71
3.	ओमप्रकाश गणेशराम पिता अरजन ब.हि. 2/3 राहिन ओ.बी.सी शाखा फतेहपुर जमना पत्नी अरजन हि. 1/3 जाति जाट सा. देह	38/3	0.7725	बा.1 0.7425 गै.मु.रा. 0.03	3.71
4.	केशाराम पुत्र धनाराम जाति जाट सा. देह	38/4	0.7725	बा.1 0.7725	3.87

विवादित आराजी के खसरा नम्बर 38/2 में प्रतिवादी क्रमांक 4, 5, 6 के साथ–साथ मृतक गणपति सहखातेदार दर्ज है। चूंकि मृतक गणपति दावे में पक्षकार नहीं थी एवं दावे में वर्णितानुसार उसके कायम मुकाम प्रतिवादी क्रमांक 6 पूर्व में ही दर्ज है। तदनुसार गणपति के हिस्से की आराजी विधिक प्रक्रिया के अनुसार उक्त प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज करें।

तहसीलदार रामगढ शेखावाटी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner